बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

Bihar State Power Transmission Company Limited

(निबंधित कार्यालयः–विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(Regd. Office: Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

Contact No.: 7763817975,7763818077, Website:www.bsptcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

पत्रांकः– ______________________ पटना, दिनांकः– ____________

T-VI/विविध पत्राचार–8010/2019

प्रेषक,

ई–मेल

राजीव कुमार,
अवर सचिव।

सेवा में,

महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता,
सभी संचरण जोन।
सभी मुख्य अभियंता/मुख्य अभियंता(असैनिक),
महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा),
उप महाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0),
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना।

विषयः– **अनुशासनिक कार्रवाई विषय के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सुयोग्य पदाधिकारी/कर्मियों की अनुशंसा प्रेषित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **सरकार के उप सचिव, ऊर्जा विभाग का पत्रांक–3130 दिनांक–09.06.2026**

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ऊर्जा विभाग के माध्यम से अनुशासनिक कार्रवाई विषय के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सुयोग्य पदाधिकारी/कर्मियों की अनुशंसा हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुशासनिक कार्रवाई विषय पर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सुयोग्य इच्छुक सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों को चिहिन्त कर उनकी सूची अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0–तथैव।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(राजीव कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक संख्या– 1991 / **पटना, दिनांक–** 16/06/26

प्रतिलिपिः– निदेशक(परियोजना)/निदेशक(परिचालन)/महाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0)/विद्युत अधीक्षण अभियंता, सभी संचरण अंचल/अधीक्षण अभियंता(असैनिक), सभी संचरण असैनिक अंचल/विद्युत कार्यपालक अभियंता, सभी संचरण प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता(असैनिक), सभी संचरण असैनिक प्रमंडल/वरीय प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)/उप सचिव/लेखा पदाधिकारी, सभी संचरण अंचल एवं सभी प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से अनुरोध है कि इसकी प्रति कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा की जाए।

अनु0–तथैव।

16/06/26

अवर सचिव

16.06.26

बिहार सरकार

ऊर्जा विभाग

पत्रांक:–प्र0 / वि0का0प्र0–02 / 2025– 3130 पटना, दिनांक:– 09.06.2026

प्रेषक,

राज किशोर लाल,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0, पटना।

प्रबंध निदेशक
साउथ बिहार पॉवर डि0 कं0 लि0, पटना।

प्रबंध निदेशक
नॉर्थ बिहार पॉवर डि0 कं0 लि0, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य जल विद्युत निगम, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लि0, पटना।

प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं0 लि0, पटना।

वरीय विद्युत निरीक्षक,
विद्युत निरीक्षणालय, पटना।

निदेशक,
ब्रेडा, विद्युत भवन–II, पटना।

विषय:– **अनुशासनिक कार्रवाई विषय के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सुयोग्य पदाधिकारी / कर्मियों की अनुशंसा प्रेषित करने के संबंध में।**

प्रसंग:– मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय का पत्रांक–975 दिनांक–15.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि अनुशासनिक कार्रवाई विषय के लिए प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सुयोग्य पदाधिकारी / कर्मियों की अनुशंसा प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अनुरोध है कि अनुशासनिक कार्रवाई विषयक प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने में रूचि रखने वाले सुयोग्य पदाधिकारियों / कर्मियों को चिन्हित कर उनकी सूची शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

09/06/26

सरकार के उप सचिव।

Dairy No. 1454 Date 11/06/26
B.S.P.T.C.L., Patna

D:\Office

बिहार सरकार

मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक : मु.जाँ.आ.नि.(प्रशि.) : 02 / 2025 : 975 दिनांक : 15.5.2026

प्रेषक,

महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त
बिहार, पटना।

सेवा में,

ई–मेल

स्मार

सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

विषय : अनुशासनिक कार्रवाई विषय के लिये प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सुयोग्य पदाधिकारियों / कर्मियों की अनुशंसा प्रेषित करने के संबंध में।

प्रसंग : मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय का पत्रांक 883, दिनांक 04.05.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के अनुप्रयोग से जुडे सभी सरकारी कर्मियों के क्षमता संवर्धन हेतु निदेशालय द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर संचालित किये जाने के लिये विषय से संबंधित सुयोग्य प्रशिक्षकों के बल तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न प्रशासनिक स्तरों (राज्य मुख्यालय के अलावा प्रमंडल एवं जिला) पर व्यापक रूप से संचालित किया जा सके। इसके लिये प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपके अधीनस्थ विभागों / कार्यालयों के प्रशिक्षक के दायित्व निर्वहन में रूचि, क्षमता, अनुभव एवं इच्छुक सेवारत / सेवानिवृत्त पदाधिकारियों / कर्मियों को चिह्नित कर निदेशालय को सूचित करने का अनुरोध किया गया है। वांछित सूचना अद्यतन अप्राप्त है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त वांछित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति (पृष्ठ भाग पर)।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)
महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त

D:\Word File\ File No. 02-2026_PRASHIKSHAN

बिहार सरकार
मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय
<u>सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना</u>

पत्रांक : मु.जाँ.आ.नि.(प्रशि.) : 02/2025 : 883 दिनांक : 04.5.2026

प्रेषक,

महानिदेशक—सह—मुख्य जाँच आयुक्त
बिहार, पटना।

सेवा में,

ई—मेल

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी
बिहार।

विषय : अनुशासनिक कार्रवाई विषय के लिये प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु सुयोग्य पदाधिकारियों/कर्मियों की अनुशंसा प्रेषित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के त्रुटिरहित अनुपालन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुख्य जाँच आयुक्त निदेशालय द्वारा इस नियमावली के अनुपालन से जुड़े सभी सरकारी कर्मियों की क्षमता संवर्धन की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत ही सचिवालय में पदस्थापित सभी विभागों के उक्त नियमावली के क्रियान्वयन से संबद्ध पदाधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों के अंतर्गत संचालित अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारियों का भी प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। किन्तु अनुशासनिक कार्रवाईयों की राज्यस्तरीय व्यापकता को ध्यान में रखते हुए इसे पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर संचालित किये जाने की आवश्यकता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विषय से संबंधित सुयोग्य प्रशिक्षकों के दल तैयार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न प्रशासनिक स्तरों (राज्य मुख्यालय के अलावा प्रमंडल एवं जिला) पर व्यापक रूप से संचालित किया जा सके। इसके लिये सुयोग्य पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किये जाने की योजना है।

[illegible] चिह्नित कर निदेशालय को सूचित करने की कृपा की जाए—

(1) जिन्हें प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने में रुचि हो;
(2) जो प्रशिक्षण देने की क्षमता एवं अनुभव धारण करते हों;
(3) जो प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छा रखते हों।

विश्वासभाजन,

(दीपक कुमार सिंह)
महानिदेशक—सह—मुख्य जाँच आयुक्त